



क्रमांक:- अ.अ./उत्तर/2021-22 / ५१७

दिनांक :- 20/07/2021

इ-विड सूचना संख्या: जोन-उत्तर 02/2021-22:

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत विडर्स कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेल्वे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के विडर्स के समक्ष हो (विडर्स पात्रता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) से निर्धारित प्रपत्र मे इ-प्रोक्युरेन्ट प्रक्रिया से सिविल कार्यों हेतु ऑन लाईन विड आमत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

क्र.सं	विवरण	आईटम क्र. सं.	दिनांक व समय
1	ऑन लाईन विड फार्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	01 से 02	दिनांक 22.07.2021 प्रातः 09.30 बजे से
2	ऑन लाईन विड फार्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	01 से 02	दिनांक 02.08.2021 सायं 6.00 बजे तक
3	ऑन लाईन विड फार्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	01 से 02	दिनांक 22.07.2021 प्रातः 09.30 बजे से
4	ऑन लाईन विड फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01 से 02	दिनांक 02.08.2021 सायं 6.00 बजे तक
5	विड प्रपत्र शुल्क, विड सुरक्षा राशि ऑन लाईन SSO ID के माध्यम से जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01 से 02	दिनांक 02.08.2021 सायं 6.00 बजे तक
6	ऑन लाईन वित्तीय विड खोलने की दिनांक व समय	01 से 02	दिनांक 03.08.2021 सायं 4.00 बजे

विड का विवरण निम्न प्रकार है-							
क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुगमित लागत (लाखों में)	विड सुरक्षा राशि(₹)	विड प्रपत्र शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	दोष निवारण अवधि	जोन कार्यालय
1.	मण्डोर मुख्य गेट के सामने यातायात व्यवस्था के लिये टीन-शेड को हटाकर आस-पास के क्षेत्र को विकसित करने का कार्य।	15.31	0.00	500/-	03 माह	5 वर्ष	उत्तर
2.	सी.एस.आर के तहत अमृतलाल स्टेडियम एवं इण्डोर स्टेडियम में विभिन्न खेल-सुविधाओं के विकास कार्य।	9.62	0.00	500/-	04 माह	3 वर्ष	उत्तर

विड की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- विड प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन विड में भाग लेने वाले विडर्स को विड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> पर जमा करनी होगी।
- विड की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
- विड हेतु पात्र विडर्स की श्रेणी :-

किसी भी सीमा तक	एए श्रेणी, विडर्स
रुपये 300.00 लाख तक	ए श्रेणी, विडर्स
रुपये 150.00 लाख तक	बी श्रेणी, विडर्स
रुपये 50.00 लाख तक	सी श्रेणी, विडर्स
रुपये 15.00 लाख तक	डी श्रेणी, विडर्स

- विड खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण विड नहीं खोली जा सकती हैं, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष विड खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- विड प्रक्रिया:-

कार्य	पोर्टेशियल असेसमेंट	पोर्ट स्टालिफिकेशन	प्री क्वालिफिकेशन
संडक	300 लाख से 1000 लाख तक	10 करोड़ से 100 करोड़ तक	100 करोड़ से अधिक
अन्य निर्माण कार्य	200 लाख से 1000 लाख तक	10 करोड़ से 50 करोड़ तक	50 करोड़ से अधिक

- विडर्स द्वारा निम्नलिखित राशि निम्न विवरण अनुसार विड खोले जाने के समय से पूर्व जरिये ऑनलाईन SSO ID ऑनलाईन विड कार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है:-

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	मुगलान का प्रकार	देश
1.	विड शुल्क	उपरोक्तानुसार	ऑनलाईन SSO ID के माध्यम से ss.o.rajsathan.gov.in पर urban services में Payment gateway for E-Tendering से	संचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	ई-विड प्रक्रिया शुल्क	50 लाख से कम 500/- 50 लाख से ऊपर 1000/-		MD RISL, JAIPUR

- प्रदत दरें विड खोलने की दिनांक से 50 दिवसी तक विड स्वीकृति हेतु माय (Valid) रहेगी। यदि विडर्स उस अवधि में अपनी विड अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी विड वापस ले लेता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- यदि विडर्स के नजदीकी रिंस्टेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधिकारी अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदवश्यपूर्ण हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिवाच्य रहेगा।
- राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में इन्हीं भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रिल अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक विडर्स अथवा उसके कर्मचारी के लिए कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि विडर्स अपनी उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त विभाग अनुमति विड जमा कराने से पहले अथवा विडर्स के यहाँ से सेवायें लेने से बहल अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध प्रदत किया जा सकेगा।
- विडर्स को विड भरते समय पजीयन प्रयोग वर व GST रजिस्ट्रेशन की प्रति रक्तन कर लगाना अनिवार्य है।
- किसी भी विड को स्वीकृत करने एवं विड कारण बताये निवृत्त करने के समस्त अधिकार निम्न हस्ताक्षरकार्ता का रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्तें उस सीमा तक गाय/लागू होंगी जिस सीमा तक वे राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता अनिवार्य 2012 पुर नियम 2013 के विरोध में नहीं हो।
- दिल विभाग के आदेश संस्थान एवं 1(1)एफ जी/जीएपीएप्प एआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (समूलत नं 10/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों पर 500/- पर 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए

- 1000/- रु. का राशा जालाइन SS0 ID के साथ से रूप म होगा। यह राशा मनाजग डायरेक्टर, आर.आइ.एस.एल, जयपुर के पक्ष में भुगतान योग्य होना चाहिए।
13. नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल / पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
14. विड प्रपत्र शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रुपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 1000
150 लाख से 400 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 2000
400 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रुपये 5000
15. ई-विड के लिए विडर्स हेतु निर्देश :-	
• इन विड में दिलचस्पी लेने वाले विडर्स विड प्रपत्रों को इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajsathan.gov.in देख/डाउनलोड कर सकते हैं।	
• विड में भाग लेने वाले विडर्स को इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajsathan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन विड में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट है। इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक विड में साइन करने हेतु काम आयेगा। विडर्स उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन विडर्स के पास पूर्ण मे वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।	
• विडर्स को विड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मट मे उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईट के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रस्ताव अकेले भीतिक फॉर्म से स्वीकार्य नहीं होगा।	
• इलेक्ट्रोनिक विड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व विडर्स यह सुनिश्चित कर लेवे की विड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।	
• कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने मे किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।	
• विड के प्रपत्रों मे आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करे।	
16. विड राजस्वान लोक उपायन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। उपर अंकित समस्त प्रावधान/वंधन उस सीमा तक ही लागू होंगे जिस सीमा तक वे उपर विन्दु से उल्लिखित अधिनियम एवं नियमों के विकल्प नहीं हों।	

17. विड के साथ अनुलग्नक परिशिष्ट A से D विन्दु के भाग हैं, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है।

18. कार्य की गुणवत्ता जांच बिडर द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुरूप स्वयं के खर्च पर करानी होगी।

19. वित विभाग के आदेश क्रमांक ए।-2(1) वित/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार विड सिक्योरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। घोषणा पत्र पर 50/- रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। घोषणा पत्र, सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से देय है। घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न है। घोषणा पत्र, सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से देय नहीं होने की रिक्षति मे विड पर विचार नहीं किया जायेगा।

अधिकारी अभियंता (जोन-उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

दिनांक :-

कार्यक्रम :-

- प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
- निजी सचिव, अव्यक्त महादेव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
 - निजी सचिव, आयुक्त महादेव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
 - सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
 - निवेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
 - निवेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
 - मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
 - साहायक लेखाधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
 - अधिकारी अभियंता, सा.नि.पि / जो.वि.वि.नि.लि / जन स्वा.अभि. विभाग / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
 - अधिकारी अभियंता जोन- पूर्ण /परिवर्तन/ वर्षण/ मुख्यालय/ आर.ओ.वी./पी.एस.ई., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
 - कैपिटर/ नोटिस बोर्ड।
 - सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
 - एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेखा है कि उक्त निविदा का प्रकाशन <http://www.eproc.rajsathan.gov.in>, www.jodhpurjda.org.in एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाइट पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे तथा जी ऐडब्ल्यू अप्लोड होने के पश्चात टेक्स्ट आई डी असाइलाइकरकों को उपलब्ध करावे।
 - सूचना सहायक सुमीत्री/ श्रीमति तारपर्यति को प्रति प्रेषित कर लेखा है कि उक्त विड से सम्बंधित सूचना SS0 ID हासा पोर्टल पर अपलोड करे।
 - ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर / जोधपुर ठेकेदार संघ/ औल सज्जान कानून कानून कानून एसोसिएशन/ ठेकेदार संघ सिविल जॉडीए/ पीडब्ल्यूडी ठेकेदार संघ/

अधिकारी अभियंता (जोन-उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर